बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

बिहार सरकार का एक उपक्रम

वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BSBCCL

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company

A Government of Bihar Undertaking

Website: www.bsbccl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!

CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक : बी0एस0बी0सी0सी0एल0–12/2014–परामर्शी सेवा 865(873) दिनांक: 30 /03/2017

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

विषयः माह फरवरी, 2017 तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त कार्यों की समीक्षात्मक टिप्पणी।

प्रसंगः–निगम का पत्रांक–509(अनु0) दिनांक–27.02.2017.

महाशय,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से बेनीपट्टी, किशनगंज, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, शेरघाटी, गया, मसौढ़ी, दानापुर, बाढ़, नवगछिया, बक्सर सदर, शिवहर सदर, जहानाबाद सदर, शेखपुरा, समस्तीपुर, रोसड़ा एवं दलसिंहसराय अर्थात् कुल 19 अद्द उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालय के निर्माण कार्य की योजना, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को प्राप्त हुई थी। ₹29.89 लाख प्रति अद्द की दर से 19 अद्द उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालय के निर्माण के लिये कुल ₹5.6791 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹567.91 लाख है। माह जनवरी, 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है।

निगम स्तर पर अद्यतन समीक्षा के आधार पर माह फरवरी, 2017 की समीक्षात्मक टिप्पणी निम्नवत है।

2. भौतिक प्रगति

19 अद्द उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालयों में से 16 को पूर्ण किया जा चुका है। शेष 3 योजनाओं में से लखीसराय की योजना स्थगित कर दी गयी है, गया की योजना प्रशासी विभाग को वापस कर दी गयी है तथा बाढ़ में NOC प्राप्त नहीं रहने के कारण योजना प्रारम्भ नहीं की जा सकी है।

2.2 वित्तीय प्रगति

19 अद्द उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹567.91 लाख है जिसके विरुद्ध ₹5.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। योजना पर अब तक कुल ₹4.67 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजनावार अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन सार सहित संलग्न है।

2.3 भूमि संबंधी मामले

लखीसराय प्रशासी विभाग द्वारा स्थगित कर दी गई है तथा गया एवं बाढ़ में एन0ओ0सी0 अब तक अप्राप्त है, जिस कारण से वहाँ कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। निगम के पत्रांक–2346, दिनांक–03.08.2015 द्वारा गया में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए स्थल अनुपलब्ध रहने के कारण प्रशासी विभाग को योजना वापस कर दिया गया है।

2.4 विभाग से निधि की उपलब्धता

19 अद्द उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालयों के निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक स्वीकृति ₹5.6791 करोड़ है जिसके विरुद्ध ₹5.00 करोड़ का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः निधि की आवश्यकता नहीं है।

2.5 निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रेषण

निगम के पत्रांक–269, दिनांकः 09.02.2016 द्वारा दिनांक–03.02.2016 तक व्यय के लिए ₹3.65858 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया है। 31 मार्च 2016 तक के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र हीं प्रेषित किया जा रहा है।

2.6 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा हेतु प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को 10.00 बजे पूर्वाह्न निगम मुख्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में भाग लेने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कृपा की जाये ताकि कार्य प्रगति एवं समस्याओं का बेहतर अनुश्रवण हो एवं त्वरित कार्रवाई की जा सके।

2.7 ध्यानाकर्षण हेतु प्रमुख मुद्दे

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा सभी कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए ऑन लाईन प्रोजेक्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम लागू किया गया है। योजनाओं की अद्यतन जानकारी निगम के वेबसाईट www.bsbccl.bih.nic.in पर मौजुद ऑन लाईन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम लिंक द्वारा ली जा सकती है। इसके लिए यूजर आई डी एवं पासवर्ड निगम के आई0टी0 मैनेजर द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3. अनुरोध

अनुरोध है कि विभागीय स्तर से भी कार्यों की समीक्षा/अनुश्रवण कराने की कृपा की जाये एवं इस पर अगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाये तथा जिन कार्यस्थलों के लिये निर्विवादित तरीके से जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन पर सुविचारित निर्णय लेकर उनकी प्र''ासनिक स्वीकृति रद्द की जाये।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/3

(अमृत लाल मीणा)

ज्ञापांकः– 865 दिनांक– 30/03/2017.

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, आई0टी0 मैनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा)

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।

विभाग का नाम : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कम संख्या	किए जाने वाले कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	उपलब्ध कराई गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य की अद्यतन प्रगति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप समाहर्ताओं के न्यायालय कार्यालय का निर्माण कार्य। **बेनीपट्टी, किशनगंज, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, शेरघाटी एवं गया।** **(कुल 8 अदद)**	**₹2.3912 करोड़** पत्र ज्ञापांक–55(8) दिनांक–21.02.2014 (₹29.89 लाख प्रति अदद की दर से) 2 स्थगित/वापस योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति **₹0.5978 करोड़**	**₹05.00 करोड़** (वर्ष 2014–15 में)	**₹04.67 करोड़**	* **कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : (कुल 6 अदद)** बेनीपट्टी, किशनगंज, जमुई, भागलपुर, खगड़िया एवं शेरघाटी । **लखीसराय** स्थगित कर दी गई है। गया में प्रस्तावित निर्माण कार्य पत्रांक–2346, दिनांक–03.08.2015 द्वारा प्रशासी विभाग को वापस कर दिया गया है।	–	* निगम के पत्रांक–269, दिनांक: 09.02.2016 द्वारा दिनांक–03.02.2016 तक कार्यान्वित सभी योजनाओं पर व्यय के लिए ₹3.66 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को भेजा गया। * निगम के पत्रांक–509, दिनांक: 27.02.2017 द्वारा जनवरी 2017 तक की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रेषित। * <u>आवंटन की आवश्यकता।</u>
2	उपसमाहर्त्ताओं के न्यायालय/कार्यालय कक्ष का निर्माण कार्य। **मसौढ़ी, दानापुर, बाढ़, नवगछिया, बक्सर सदर, शिवहर सदर, जहानाबाद सदर, शेखपुरा, समस्तीपुर, रोसड़ा एवं दलसिंहसराय।** **(कुल 11 अदद)**	**₹3.2879 करोड़** पत्र ज्ञापांक–314(8) दिनांक–10.10.2014 (₹29.89 लाख प्रति अदद की दर से) बाढ़ के लिए प्रशासनिक स्वीकृति **₹0.2989 करोड़**			* **कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित : (कुल 07 अदद)** रोसड़ा, दलसिंहसराय, दानापुर, शेखपुरा, शिवहर, मसौढ़ी एवं बक्सर। **कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण की प्रक्रिया में : (कुल 03 अदद)** समस्तीपुर (वर्तमान में लोकनिवारण कार्य चल रहा है।) नवगछिया एवं जहांनाबाद। **बाढ़** में स्थल अनुपलब्ध/एन0ओ0सी0 अप्राप्त।	–	* पत्रांक–2346, दिनांक–03.08.2015 द्वारा बाढ़ के लिये एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। * संयुक्त निदेशक, कृषि गणना के पत्रांक–1009, दिनांक–17.08.15 द्वारा समाहर्त्ता, पटना को बाढ़ में स्थल उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। * पत्रांक–1188, दिनांक–20.05.2016 के द्वारा अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पी0एम0आई0एस0 एवं मोबाईल ऐप का युजर आई डी एवं पार्सवर्ड उपलब्ध कराया गया।